रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 405] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1970/कार्तिक 19, 1892

No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1970/KARTIKA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 10th November, 1970

S.O. 3711.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section (4) of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), the Central Government, after consulting the Governments of the States of Punjab and Haryana and the Administrators of the Union territories of Himachal Pradesh and Chandigarh, approves with certain modifications, the scheme forwarded by the Government of Punjab relating to the reconstitution and reorganisation of the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, being a corporation constituted under the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine Act, 1963 (Punjab Act 38 of 1963), and now functioning in the States of Punjab and Haryana, the Union territory of Chandigarh and the territories transferred to the Union territory of Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and for the purpose of giving effect to the scheme so approved, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine Act, 1963 (Punjab Act 38 of 1963);

(b) "appointed day" means the 1st day of December, 1970;

(c) "existing Faculty" means the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine constituted under the Act, functioning and operating immediately before the appointed day in the State of Punjab as it existed immediately before the 1st day of November, 1966;

(d) "Haryana Faculty" means the Haryana State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine established under the Act as from the appointed day for the State of Haryana;

(e) "prescribed ratio," in relation to the Punjab Faculty and the Haryana Faculty, means the ratio of 8:7;

(f) "Punjab Faculty" means the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine established under the Act as from the appointed day for the State of Punjab;

(g) "Schedule" means the Schedule appended to this Order;

(h) "successor Faculty," in relation to the existing Faculty, means the Punjab Faculty or the Haryana Faculty;

(i) all other words and expressions used herein and not defined in this Order but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Dissolution of existing Faculty and Constitution of separate Faculties in the States of Punjab and Haryana.**—As from the appointed day—

(a) the existing Faculty shall stand dissolved, and the members thereof shall cease to hold office as such members;

(b) the Government of Punjab shall establish and constitute under the Act a Faculty for the State of Punjab called the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine; and

(c) the Government of Haryana shall establish and constitute under the Act a Faculty for the State of Haryana called the Haryana State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine.

4. **Appointment of Secretary.**—(1) The Secretary of the existing Faculty holding office immediately before the appointed day, shall, as from that date, be deemed to be appointed as the Secretary of the Punjab Faculty on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before that date, and until they are duly varied by a competent authority under the Act.

(2) Until the appointment of a Secretary by the Haryana Faculty under section 13 of the Act, the Government of Haryana shall appoint a person to be the Secretary of the Haryana Faculty on such terms and conditions as it deems fit.

5. **Provision relating to employees of the existing Faculty other than Secretary.**—(1) All officers and servants (other than the Secretary) of the existing Faculty shall be allotted by the existing Faculty to the Punjab Faculty and the Haryana Faculty, in the prescribed ratio after taking into consideration, as far as may be possible, the options of the employees, and on and from the appointed day any such person shall be deemed to have been transferred to the successor Faculty to which he has been allotted on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before that date until they are duly varied by a competent authority under the Act.

(2) The services rendered by every person to the existing Faculty upto the appointed day shall, on his transfer to a successor Faculty under sub-paragraph (1), count as service under the Faculty to which he is so transferred, for purposes of leave, gratuity, provident fund and all other benefits to which he was entitled immediately before the appointed day.

(3) Nothing in this paragraph shall be deemed to affect the right of a successor Faculty to determine, after the appointed day, the conditions of service of persons transferred to it under sub-paragraph (1) above:

Provided that the conditions of service applicable before the appointed day to any such person shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Government of Punjab or the Government of Haryana, as the case may be.

6. **Recovery of outstanding fees and dues.**—All fees and other dues payable to the existing Faculty under the Act upto the appointed day shall,—

(a) if the dues are payable by a person borne on the rolls of a recognised institution in the State of Haryana, be recovered and retained by the Haryana Faculty; and

(b) in any other case, be recovered and retained by the Punjab Faculty.

7. **Division of cash balance.**—The cash balance held by the existing Faculty immediately before the appointed day shall, after deducting all the liabilities of the existing Faculty upto that date, be apportioned among the successor Faculties in the prescribed ratio.

8. **Residuary provision.**—Any other assets or liabilities of the existing Faculty, immediately before the appointed day, not expressly hereinbefore provided for, shall be apportioned among the successor Faculties in the prescribed ratio.

9. **Legal proceedings.**—Where, immediately before the appointed day, the existing Faculty is a party to any legal proceedings instituted in any Court, by or against any person,—

(a) if the Court is situated in the State of Haryana, the Haryana Faculty; and

(b) in any other case, the Punjab Faculty,

shall respectively be deemed to be substituted for the existing Faculty as a party to the proceedings and the proceedings may continue accordingly.

10. **Contracts.**—Where, before the appointed day, the existing Faculty has made any contract which on that date is subsisting, such contract shall be deemed to have been made,—

(a) if the purposes of the contract are, on and from the appointed day, exclusively relatable to the area comprising the State of Haryana, by the Haryana Faculty; and

(b) in any other case, by the Punjab Faculty,

and all rights and liabilities which have accrued or may accrue under any such contract shall, to the extent to which they would have been the rights and liabilities of the existing Faculty, be the rights and liabilities of the successor Faculty concerned.

11. **Transfer of proceedings pending before existing Faculty.**—Any proceeding relating to any person or institution pending immediately before the appointed day before the existing Faculty shall, on and from that day, stand transferred for disposal according to law—

(a) if the person concerned is domiciled or the institution is located in the State of Haryana, to the Haryana Faculty, and

(b) in any other case, to the Punjab Faculty.

12. **Holding of examinations.**—Until the Haryana Faculty intimates to the Punjab Faculty that the former has made arrangements for holding the qualifying examinations which, immediately before the appointed day, were being held by the existing Faculty, the Punjab Faculty shall allow the students from recognised institutions situated in the State of Haryana to appear for the qualifying examinations held by the Punjab Faculty and the fees received from such students shall be paid to the Punjab Faculty.

13. **Saving.**—Any bye-laws, rules or regulations framed by, or in respect of, the existing Faculty shall, until other provision is made under the Act by or in respect of the relevant Faculty, be deemed to be the bye-laws, rules or regulations framed by, or in respect of, the Punjab Faculty or, as the case may be, the Haryana Faculty.

14. **Adaptations and modifications in the Act.**—As from the appointed day, the Act shall, until altered, repealed or amended by a competent Legislature, have effect, subject to the provisions of, and the adaptations and modifications specified in, the Schedule annexed hereto.

SCHEDULE

(*See* paragraph 14)

THE PUNJAB STATE FACULTY OF AYURVEDIC AND UNANI SYSTEMS OF MEDICINE ACT, 1963

(PUNJAB ACT 38 OF 1963)

1. In section 1, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) It extends to the States of Punjab and Haryana, as constituted under Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966)."

2. In section 2,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) "Director of Ayurveda" means the Director of Ayurveda, Punjab or, as the case may be, the Director of Ayurveda, Haryana and includes a Deputy Director of Ayurveda, an Assistant Director of Ayurveda and such other officer as the State Government of Punjab or Haryana may appoint for exercising the powers and performing the functions of the Director of Ayurveda under this Act and the rules made thereunder;"

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) "Faculty" means the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine or the Haryana State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine;"

(iii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

"(g) all other words and expressions used but not defined in this Act shall, in relation to the State of Punjab, have the meanings assigned to them in the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963 (Punjab Act No. 42 of 1963) and in relation to the State of Haryana have the meanings assigned to them in that Act as amended by the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Act, 1969 (Haryana Act No. 18 of 1969)."

3. After section 2, the following section shall be inserted, namely:—

"2A. *Construction of certain references in the Act.*—In the application of this Act to the State of Haryana, any reference therein to any expression mentioned in column (1) of the Table below shall be construed as a reference to the corresponding expression mentioned in column (2) of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
State Government	Government of the State of Haryana
Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine	Haryana State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine
each House of the State Legislature	the Legislative Assembly
both Houses agree	the Legislative Assembly agrees
Official Gazette	Official Gazette of the Government of Haryana".

4. Sub-sections (3) and (4) of section 3 shall be omitted.

5. After section 3, the following section shall be inserted, namely:—

"3A. *Provision for Faculties in Punjab and Haryana.*—(1) The Faculty established under section 3 and functioning and operating in the States of Punjab and Haryana, the Union territory of Chandigarh and the part of the Union territory of Himachal Pradesh to which

this Act extends, immediately before the appointed day as defined in the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1970, issued under section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (Central Act 38 of 1957), shall, as from that date, stand dissolved and the members thereof shall, notwithstanding anything contained in section 7, cease to hold office as such members and a new Faculty shall be constituted by the State Government concerned for each of the States of Punjab and Haryana in accordance with sub-section (2).

(2) As from the date referred to in sub-section (1)—

(a) the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine shall consist of a Chairman who shall be the Director of Ayurveda, Punjab, or, if the post of Director is vacant, such other officer as the State Government may, by notification, appoint, a Vice-Chairman who shall be the Deputy Director or Assistant Director of Ayurveda and the following other members to be appointed by notification by the State Government, namely:—

(i) two principals from the recognised institutions in Ayurvedic System and Unani System;

(ii) two members of the Board recommended by it; and

(iii) three registered practitioners whose names are entered or deemed to be entered in Part I of the Register, of whom one shall be a person practising the Unani System;

(b) the Haryana State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine shall consist of a Chairman who shall be the Director, Health Services, Haryana, a Vice-Chairman who shall be the Deputy Director (Ayurveda), Haryana and the following other members to be appointed by notification by the State Government, namely:—

(i) one principal from the recognised institutions in Ayurvedic System and Unani System;

(ii) one member of the Board recommended by it; and

(iii) two registered practitioners whose names are entered or deemed to be entered in Part I, or the corresponding Part, of the Register, of whom one shall be a person practising the Unani System."

6. In section 7, in sub-section (1), for the words, brackets and figures "clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (3) of section 3", the words, brackets, letter and figures "clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 3A" shall be substituted.

7. In section 9, for the word and figure "section 3", the word, figure and letter "section 3A" shall be substituted.

8. After section 15, the following section shall be inserted, namely:—

"15A. *Temporary provisions in respect of holding examinations.*—Until the Faculty established for the State of Haryana under section 3A intimates to the Faculty established for the State of Punjab under that section that the former has made arrangements for holding the qualifying examinations which, immediately before the appointed day as defined in the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1970, issued under section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (Central Act 38 of 1957), were being held by the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, the Faculty established for the State of Punjab shall allow the students from recognised institutions situated in the State of Haryana to appear for the qualifying examinations held by the Faculty established for the State of Punjab and the fees received from such students shall be paid to the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine."

[No. F. 17/68/67-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

का०आ० 3711.—अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों और हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से परामर्श करने के पश्चात्, पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचित पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय, जो पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 38) के अधीन गठित निगम हैं, और जो अब पंजाब और हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को अन्तरित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, के पुनर्गठन और पुनः संगठन से संबंधित स्कीम को कतिपय उपांतरणों के साथ अनुमोदित करती है, और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) यह आदेश पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय (पुनर्गठन और पुर्नसंगठन) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध संकाय, अधिनयम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 38) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत दिन" से दिसम्बर, 1970 का प्रथम दिन अभिप्रेत है ;

(ग) "विद्यमान संकाय" से अधिनियम के अधीन गठित पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय अभिप्रेत है जो पंजाब राज्य में, जैसा कि वह नवम्बर 1966 के प्रथम दिन से ठीक अव्यवहित पूर्व था, नियत दिन से अव्यवहित पूर्व कार्य कर रहा था और प्रवर्तित था ;

(घ) "हरियाणा संकाय" से अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य के लिए नियत दिन से स्थापित हरियाणा राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "विहित अनुपात" से, पंजाब, संकाय और हरियाणा संकाय के संबंध में, 8:7 का अनुपात अभिप्रत है ;

(च) "पंजाब संकाय" से अधिनियम के अधीन पंजाब राज्य के लिए नियत दिन से स्थापित पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय अभिप्रेत हैं ;

(छ) "अनुसूची" से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) "उत्तरवर्ती संकाय" से, विद्यमान संकाय के संबंध में, पंजाब संकाय या हरियाणा संकाय अभिप्रेत हैं ;

(झ) जो अन्य शब्द और पद इसमें प्रयुक्त हैं और जो इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गये है ।

3. **पंजाब और हरियाणा राज्यों में विद्यमान संकाय का विघटन और 3 पृथक संकायों का गठन :—**

नियत दिन से—

(क) विद्यमान संकाय विघटित हो जाएगा और उसके सदस्य ऐसे सदस्यों के रूप में पद पर नहीं रह जाएंग ;

(ख) पंजाब सरकार पंजाब राज्य के लिए अधिनियम के अधीन एक संकाय स्थापित और गठित करेगी जो पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय कहलाएगा ; और

(ग) हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के लिए अधिनियम के अधीन एक संकाय स्थापित और गठित करेगी जो हरियाणा राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय कहलाएगा।

4. **सचिव की नियुक्ति.**—(1) विद्यमान संकाय नियत दिन से अव्यवहित पूर्व पद धारण करने वाला सचिव, पंजाब संकाय के सचिव के रूप में उसी तारीख से उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जो उसे उस तारीख से अव्यवहित पूर्व लागू थीं, और तब तक, जब तक कि उनमें अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से फेरफार न किया जाए, नियुक्त हुआ समझा जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 13 के अधीन जब तक हरियाणा संकाय द्वारा सचिव की नियुक्ति न की जाए तब तक हरियाणा सरकार किसी व्यक्ति को हरियाणा संकाय के सचिव के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्त करेगी।

5. **विद्यमान संकाय के, सचिव से भिन्न, कर्मचारियों से संबंधित उपबन्ध.**—(1) विद्यमान संकाय के सभी अधिकारी और सेवक (सचिव से भिन्न) विद्यमान संकाय द्वारा पंजाब संकाय और हरियाणा संकाय में, यावत्संभव कर्मचारियों के विकल्प पर विचार करने के पश्चात विहित अनुपात में आवंटित किए जाएंगे और नियत दिन को और से ऐसा व्यक्ति उस उत्तरवर्ती संकाय को, जिसको वह आवंटित किया गया है, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जो उसे उस तारीख से अव्यवहित पूर्व लागू थीं और तब तक जब तक कि उनमें अधिनियम के अधीन काम सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से फेरफार न किया जाए अन्तरित हुआ समझा जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति के उपपैरा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती संकाय को अन्तरण पर विद्यमान संकाय में नियत दिन तक उसके द्वारा की गई सेवाओं की गणना छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य सभी फायदों के प्रयोजनों के लिए जिन के लिए वह नियत दिन से अव्यवहित पूर्व हकदार था, उस संकाय के अधीन की गई सेवा के रूप में की जाएगी जिसको वह इस प्रकार अन्तरित किया गया है।

(3) इस पैरा की कोई भी बात उत्तरवर्ती संकाय के, नियत दिन पश्चात्, उपरोक्त उपपैरा (1) के अधीन अन्तरित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण करने के अधिकार पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ;

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को नियत दिन से पूर्व लागू सेवा की शर्तों में उसके अहित में कोई फेरफार यथा स्थिति पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय नहीं किया जाएगा।

6. **बकाया फीस और देय की वसूली.**—विद्यमान संकाय को नियत दिन तक अधिनियम के अधीन संदेय सभी फीस और अन्य देय,—

(क) यदि देय उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जो हरियाणा राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्था के रोल पर है, तो वे हरियाणा संकाय द्वारा वसूल किए जाएंगे और रखे जाएंगे और

(ख) किसी अन्य मामलों में, पंजाब संकाय द्वारा वसूल किए जाएंगे और रखे जाएंगे।

7. **शेष नकदी का विभाजन.**—विद्यमान संकाय द्वारा नियत दिन से अव्यवहित पूर्व, धारित शेष नकदी विद्यमान संकाय से उस तारीख तक के सभी दायित्वों की कटौती करने के पश्चात्, उत्तरवर्ती संकायों को विहित अनुपात में प्रभाजित कर दी जाएगी।

8. **अवशिष्ट उपबन्ध.**—विद्यमान संकाय की नियत दिन से अव्यवहित पूर्व, कोई अन्य आस्तियां या दायित्व जिसके लिए इसमें इससे पूर्व कोई उपबन्ध अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती संकायों में विहित अनुपात में प्रभाजित कर दिए जाएंगे।

9. **विधिक कार्यवाहियां.**—जहां, नियत दिन से अव्यवहित पूर्व, विद्यमान संकाय किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध, संस्थित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में किसी न्यायालय में पक्षकार, है वहां,—

(क) यदि न्यायालय हरियाणा राज्य में स्थित हैं तो हरियाणा संकाय, और

(ख) किसी अन्य मामले में, पंजाब संकाय,

क्रमशः विद्यमान संकाय के स्थान पर कार्यवाहियों के पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित समझा जाएगा और कार्यवाहियों तदनुसार जारी रखी जा सकेंगी।

10. **संविदाएं.**—जहां, नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान संकाय ने कोई संविदा की है जो उस तारीख को अस्तित्व में है, वहां ऐसी संविदा—

(क) यदि संविदा के प्रयोजन नियत दिन को और से हरियाणा राज्य में समाविष्ट क्षेत्र से अनन्यतः संबंधित हैं तो हरियाणा संकाय द्वारा ; और

(ख) किसी अन्य मामले में, पंजाब संकाय द्वारा, की गयी मानी जाएगी और ऐसी किसी संविदा द्वारा प्रोद्भूत या प्रोद्भूत हो सकने वाले सभी अधिकार और दायित्व उस सीमा तक, जिस तक वे विद्यमान संकाय के अधिकार और दायित्व हुए होते, संबंधित उत्तरवर्ती संकाय के अधिकार और दायित्व होंग।

11. **विद्यमान संकाय के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों का अन्तरण** :—किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित कोई कार्यवाही जो नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान संकाय के समक्ष लम्बित है, उस दिन की और से,—

(क) यदि संबंधित व्यक्ति हरियाणा राज्य में अधिवासित है या संस्था हरियाणा राज्य में अवस्थित है तो हरियाणा संकाय को ; और

(ख) अन्य मामलों में पंजाब संकाय को, विधि के अनुसार निपटाने के लिए अन्तरित हो जाएंगी।

12. **परीक्षाओं का लिया जाना.**—जब तक हरियाणा संकाय पंजाब संकाय को प्रज्ञापित न कर दे कि उसने वे अर्हक परीक्षाएं लेने का इंतजाम कर लिया है, जो नियत दिन के अव्यवहित पूर्व, विद्यमान संकाय द्वारा ली जाती थी, तब तक पंजाब संकाय हरियाणा राज्य में स्थिति मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के

छात्रों को पंजाब संकाय द्वारा ली जाने वाली अर्हक परीक्षाओं में बैठने की अनुज्ञा देगा और ऐसे छात्रों से प्राप्त फीस पंजाब संकाय को संदत्त की जाएगी।

13. व्यावृत्ति:—जब तक कि तत्संबंधी संकाय द्वारा या उसकी बाबत कोई अन्य उपबन्ध अधिनियम के अधीन नहीं बना दिया जाता है तब तक विद्यमान संकाय द्वारा या उसकी बाबत विरचित किन्हीं उप-विधियों, नियमों या विनियमोंको, यथास्थिति, पंजाब संकाय या हरियाणा संकाय द्वारा उसकी बाबत विरचित उप-विधियां, नियम या विनियम समझा जाएगा।

14. अधिनियम में अनुकूलन और उपांतर:—जब तक कि सक्षम विधानमंडल द्वारा अधिनियम परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाए तब तक वह नियत दिन से एतद् उपाबद्ध अनुसूची के उपबन्धों और उसमें विनिर्दिष्ट अनुकूलनों और उपांतरों, के अध्यधीन प्रभावी रहेगा।

अनुसूची

(पैरा 14 देखिए)

पंजाब राज्य आर्युवेंदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय अधिनियम, 1963

(1963 का पंजाब अधिनियम 38)

1. धारा 1 में उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात:—

"(क) इसका विस्तार, पंजाब पुनसंगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) के अधीन यथा गठित पंजाब और हरियाणा राज्यों पर है।

2. धारा 2, में—

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

"(क) "आयुर्वेद निदेशक से यथास्थिति आयुर्वेद-निदेशक, पंजाब या आयुर्वेद-निदेशक हरियाणा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आयुर्वेद उप-निदेशक, सहायक आयुर्वेद निदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी आते है जिन्हें पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार इस अधिनियम और तदधीन बनाये नियमो के अधीन आयुर्वेद-निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करें;

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

"(ख) "संकाय" से पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय या हरियाणा राज्य आर्युवेंदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय, अभिप्रेत है;

(iii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात—

(छ) अन्य सभी शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, पंजाब राज्य के सम्बन्ध में वे ही अर्थ है जो उन्हें पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 42) में दिए गए है और हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में वे ही अर्थ हैं जो उन्हें, पंजाब आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी (हरियाणा संशोधन और विधिमान्य,

करना अधिनियम, 1969 (1969 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18) द्वारा यथा संशोधन अधिनियम दिए गए हैं :—

3. धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जायगी, अर्थात्—

"2क. अधिनियम में कतिपय निर्देशों का अर्थान्वयन —

हरियाणा राज्य के इस अधिनियम के लागू होने में, निम्न सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित पदों के प्रति किसी निर्देश का वैसा ही अर्थ लगया जायेगा जैसा उक्त सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित संबंधी पदों के प्रति निर्देश का है ।

सारणी

1	2
राज्य सरकार	हरियाणा राज्य की सरकार
पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध-प्रणाली संकाय	हरियाणा राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध-प्रणाली संकाय
राज्य विधान-मण्डल का प्रत्येक सदन	विधान सभा
दोनों सदन सहमत हों	विधान सभा सहमत हो
शासकीय राजपत्र	हरियाणा सरकार का शासकीय राजपत्र

4. धारा 3 की उपधारा (3) और (4) का लोप कर दिया जायेगा,

5. धारा 3 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्त : स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"3क. पंजाब और हरियाणा में संकायों के लिए उपबंध :—(i) की धारा 3 के अधीन स्थापित और पंजाब तथा हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ के संघ, अन्तरांज्यक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 4 के अधीन जारी किए गए, पंजाब राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली संकाय (पुनर्गठन और पुनर्संगठन) आदेश, 1970 में यथा परिभाषित नियत दिन के अव्यवहित पूर्व, धारा 3 के अधीन स्थापित और पंजाब तथा हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के उस भाग में जिस तक इस अधिनियम का विस्तार है कार्यरत तथा प्रवर्तित निकाय उस तारीख से विघटित हो जायेगा और उसके सदस्य धारा 7 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी ऐसा सदस्य के रूप में पद पर नहीं रह जायेंगे और उप-धारा (2) के अनुसार पंजाब और हरियाणा राज्यों में से प्रत्येक के लिए एक-एक नया संकाय, सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाएगा :

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से—(क) पंजाब राज्य आर्युवेदिक और यूनानी औषध-प्रणाली संकाय में एक अध्यक्ष होगा, जो आर्युवेद-निदेशक, पंजाब, होगा, या, यदि निदेशक का पद रिक्त हो, तो अध्यक्ष ऐसा अन्य अधिकारी होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, एक उपाध्यक्ष होगा जो उप-निदेशक या सहायक निदेशक, आर्युर्वेद होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात:—

(1) आर्युर्वेदिक प्रणाली और यूनानी प्रणाली की मान्यता प्राप्त संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य ;

(2) बोर्ड के दो सदस्य जिसकी बोर्ड ने सिफारिश की हो, और

(3) तीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिसके नाम रजिस्टर हैं भाग 1 में प्रविष्ट हैं या प्रविष्ट किए समझे गए हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यूनानी प्रणाली में व्यवसायी हो;

(ख) हरियाणा राज्य आर्युवेदिक और यूनानी औषध-प्रणाली संकाय में एक अध्यक्ष होगा, जो हरियाणा, का निदेशक स्वास्थ्य सेवा होगा, एक उपाध्यक्ष होगा जो हरियाणा का उप-निदेशक (आर्युवेद) होगा और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, अर्थात:—

(1) आर्युवैदिक प्रणाली और यूनानी प्रणाली की मान्यता संस्थाओं का एक प्रधानाचार्य ;

(2) बोर्ड का एक सदस्य जो इसके द्वारा सिफारिश किया गया हो; और

(3) दो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जिनके नाम रजिस्टर के भाग 1 या तत्स्थानी भाग में प्रविष्ट है या प्रविष्ट किए समझे गए हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यूनानी प्रणाली में व्यवसायी हो ।

6. धारा 7 की उप-धारा (1) में "धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (1), (2) और (3) "शब्दों, कोष्ठों और अंकों के स्थान पर "धारा 3-क की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख)" शब्द, कोष्ठ, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

7. धारा 9 में "धारा 3 शब्दों और अंक के स्थान पर "धारा 3क' शब्द अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

8. धारा 15 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जायगी अर्थात:—

"**15-क परीक्षा लेने के संबंध में अस्थायी उपबन्ध**—जब तक धारा 3 क के अधीन हरियाणा राज्य के लिए स्थापित संकाय उप धारा के अधीन पंजाब राज्य के लिए स्थापित संकाय को यह प्रज्ञापित न करे दे कि पूर्ववर्ती ने वे अर्हक परीक्षाएं लेने का इन्तजाम कर लिया है, जो अन्तर्राज्यिक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 4 के अधीन जारी किए गए पंजाब राज्य आर्युर्वेदिक और यूनानी औषध प्रणाली (पुनर्गठन और पुनसंगठन) आदेश, 1970 में यथा परिभाषित नियत दिन के अव्यहित पूर्व पंजाब राज्य आर्युवैदिक और

यूनानी औषध प्रणाली संकाय, जो पंजाब राज्य के लिए स्थापित संकाय है, द्वारा ली जाती थी, जब तक पंजाब राज्य के लिए स्थापित संकाय हरियाणा राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों को, पंजाब राज्य के लिए स्थापित संकाय द्वारा ली जाने वाली अर्हक परीक्षाओं में बैठने की अनुज्ञा देगा और ऐसे छात्रों से प्राप्त फीस पंजाब राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी औषध की प्रणाली के संकाय को सदस्त की जायगी ।"

[सं० फा० 17/68/67—एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970